रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2014/ज्येष्ठ 30, 1936
No. 155] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2014/JYAISTHA 30, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2014

(निर्णायक समीक्षा)

विषय:- कोरिया आरपी में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेड एवं सभी संकेन्द्रण का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/7/2014-डीजीएडी : समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात एड नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने कोरिया आरपी (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेड एवं सभी संकेन्द्रण के फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ की थी और दिनांक 11 नवम्बर, 2009 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/07/2007-डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की गई थी। तदनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना 140/2009-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क उदग्रहित किया गया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका इस पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो, ऐसे अधिरोपित की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति के उपरांत निष्प्रभावी हो जाएगी।

3. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी को, इस उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले किसी युक्तियुक्त समय के अंदर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत अभिपुष्टि अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी।

4. और, यतः, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख विनिर्माता मैसर्स गुजरात अल्कलायीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड और पंजाब कैमिकल्स ने एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के जरिए प्राधिकारी से संबद्ध देश में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर वित्त मंत्रालय की दिनांक 15.12.2009 की अधिसूचना संख्या 140/2009 के तहत विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया तथा पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की मांग की। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद संबद्ध देश में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन होना अभी भी जारी है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के कारण निरंतर क्षति सहन करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने यह तर्क भी दिया कि संबद्ध देश के विरुद्ध इस साधन को समाप्त कर देने से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. और, प्राधिकारी, आवेदकों द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर विचार करते हैं कि संबद्ध देश से पाटन को समाप्त करने के लिए इस शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की जांच करने और यह जांच करने के लिए कि क्या यदि शुल्क को हटा लिया जाता है या उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना बनी रहेगी, के लिए प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा कार्रवाई प्रारंभ करना उपयुक्त होगा।

घरेलू उद्योग एवं उसका आधार

6. यह आवेदनपत्र भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों, मैसर्स गुजरात अल्कलायीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड तथा पंजाब कैमिकल्स (जिन्हें एतद्पश्चात घरेलू उद्योग या आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इन आवेदकों का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है और वे नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और घरेलू उद्योग के आधार को पूरा करते हैं।

7. घरेलू उद्योग द्वारा समीक्षा की जरूरत के लिए साक्ष्यांकित प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सकारात्मक साक्ष्य से संतुष्ट होकर प्राधिकारी, प्रभावी शुल्क के सतत अधिरोपण की जरूरत की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एतद्द्वारा एक निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र में यथाप्रस्तावित, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद कोरिया आरपी में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेड एवं सभी संकेन्द्रण का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) है। फास्फोरिक एसिड एक स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन, गैर-वोलैटाइल, बल्कि विस्कोस, सीरपी द्रव है, जिसका प्रयोग सामान्यत: एक्वस तरल के रूप में किया जाता है, 85 प्रतिशत तरल का एक्वस सल्युशन जलन पैदा करने वाला होता है, हालांकि इसे तनुक्रत करने पर यह गैर-टाक्सिक हो जाता है। फास्फोरिक एसिड का प्रयोग सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्सियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, भेषज अनुप्रयोगों, पेय पदार्थों, बीज प्रसंस्करण, सुगर जूस और चीनी परिष्करण, खाद्य फास्फेट विनिर्माण आदि के लिए किया जाता है। वर्तमान याचिका, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा याचिका होने के कारण प्रस्तावित तफ्तीश में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो इससे पहले अधिसूचित किए गए अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद का दायरा था।

9. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना के तहत मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित नोट किया था :

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद" सभी ग्रेडों एवं सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड" (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) है।

10. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी ग्रेडों एवं सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो विगत में अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद का दायरा था। फास्फोरिक एसिड का प्रयोग सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्सियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, भेषज अनुप्रयोगों, पेय पदार्थों, बीज प्रसंस्करण, सुगर जूस और चीनी परिष्करण, खाद्य फास्फेट विनिर्माण आदि के लिए किया जाता है। फास्फोरिक एसिड एक अकार्बनिक रसायन है जिसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु प्रणाली पर आधारित) के उपशीर्षक संख्या 2809.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणना एवं प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे मानदंडों के रूप में तुलनीय गुणधर्म हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच अनिवार्य उत्पाद विशिष्टताओं की तुलना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशिष्टताओं के रूप में समान है। प्राधिकारी संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं।

प्रक्रिया

12. यह जांच निर्धारित करेगी कि क्या इस साधन को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के

लिए शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है और यदि शुल्क को समापत कर दिया जाता है या उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो क्या क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) यह समीक्षा दिनांक 11 नवम्बर, 2009 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/07/2007-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल करेगी।

(ii) इस समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त देश कोरिया आरपी है।

(iii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अक्तूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 है। यत: प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 रखते है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 10 - मार्च 11, अप्रैल 11 – मार्च 12, अप्रैल 12 – मार्च, 13 और जांच की अवधि शामिल होगी।

(iv) प्रमुख नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देश की सरकारों को भारत स्थित उसके राजदूतावास के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरुप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करने हेतु अलग से संबोधित किया जा रहा है।

भारत सरकार
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 469, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग में इस जांच से संगत जानकारी का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी पक्षकार से उसका अन्य पक्षकारों के लिए अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई के कोई अनुरोध लिखित रुप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय में पहुंच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

16. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर

पाटनरोधी कि इस शुल्क को जारी रखा जाए या नहीं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ की संख्या आदि) तथा (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से ''गोपनीय'' अथवा ''अगोपनीय'' लिखा जाना चाहिए।

18. किसी भी तरह के चिह्न के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी के अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने का अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतर की दो (2) प्रतियां तथा अगोपनीय रूपांतरण की 5 (पांच) प्रतियां प्रेषित की जानी चाहिए।

19. गोपनीय के रूप में दावाकृत किसी भी सूचना के लिए सूचना के प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदत्त सूचना के साथ-साथ उन कारणों का विवरण प्रस्तुत करेगा कि उक्त सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या उक्त सूचना को सारांश रुप में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है।

20. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

21. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात् गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीय के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना के सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते है।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. पाटनरोधी अधिनियम के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 20th June, 2014
(Sunset Review)

Subject: Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP.

No. 15/7/2014-DGAD:—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the AD Rules or Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated the anti dumping investigation in respect of the imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as the subject country) and definitive anti-dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 14/07/2007-DGAD dated 11th November, 2009. Accordingly, definitive anti-dumping duty was levied by the Central Government vide Custom Notification No. 140/2009-Customs dated 15.12.2009.

Request for Review

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff Act, 1995, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and Punjab Chemicals, major manufacturer of the subject goods in India, have approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duty earlier imposed vide Ministry of Finance Notification No. 140/2009-Customs dated 15.12.2009 on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and seeking the continuation of anti-dumping duty. The request is based on the grounds that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country has continued in spite of the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject country and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country. The applicants have further argued that the expiry of the measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicants considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject country and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

Domestic Industry and Standing

6. The application has been filed by M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and Punjab Chemicals (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicants), producers of the subject goods in India. As per the records available with the Authority, the applicants account for major share in the Indian production and constitute domestic industry and fulfill the condition of standing within the meaning of the Rules.

7. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates the Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of

the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duties would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration and Like Article

8. The product under consideration for the purpose of present investigation as proposed by the applicants in the application is "Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP. Phosphoric Acid is a clear, colourless, odourless, non-volatile, rather viscous, syrupy liquid, commonly used as an aqueous solution of 85% solution can be corrosive, although non-toxic when diluted. Phosphoric Acid is used for the production of sodium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, ammonium phosphate, pharmaceutical applications, beverages, seed processing, sugar juice and sugar refining, food phosphate manufacturing, etc. The present petition being a petition for sunset review of existing anti-dumping duty, the scope of the product under consideration in the proposed investigation remains the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified.

9. The Designated Authority noted as follows in the Final Findings of the original investigation vide notification dated 15th December, 2009:

"The product under consideration in the present investigation is Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)."

10. The Authority concludes that the product under consideration in the present sunset review investigation is Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade). The scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified. Phosphoric Acid is used for the production of sodium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, ammonium phosphate, pharmaceutical applications, beverages, seed processing, sugar juice and sugar refining, food phosphate manufacturing, etc. Phosphoric Acid is an inorganic chemical classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act and subheading number 2809.20 of Indian Trade Classification (based on harmonized commodity system). The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

11. The applicants have claimed that there is no known difference in product produced by the applicants and exported from the subject country. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. It has been claimed by the domestic industry that comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product show that the subject goods produced by the domestic industry are similar to the subject goods imported from subject country in terms of essential product properties. The Authority determines that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject country.

Procedure

12. The investigation will determine as to whether the expiry of the measures would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied:-

i. The review will cover all aspects of the Final Findings Notification No. 14/07/2007-DGAD dated 11th November, 2009.

ii. The country involved in the review investigation is Korea RP.

iii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review proposed by the domestic industry was from October, 2012 to September, 2013. However, the Authority determines the period of investigation from April, 2013 to March, 2014 and for injury analysis, data of the previous three years, viz., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI will be considered.

iv. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11,16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

13. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 132, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of communication of initiation of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the communication of initiation of this Notification.

Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

23. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-co-operation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-co-operative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.